

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 271]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 जुलाई 2014—आषाढ़ 14, शक 1936

वित्त विभाग

(आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2014

क्र. एफ-360-11-01-2012-आनीविइ-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (झ) के खण्ड (1) सहपठित मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक-3 सन् 1994) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसरण में मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्वारा श्री हिम्मत कोठारी को अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग तथा श्री दिलीप राज सिंह चौधरी (आय.ए.एस. सेवानिवृत्त) एवं श्री मलय राय, (आय.ए.एस. सेवानिवृत्त) को सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग नियुक्त करते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनीष रस्तोगी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2014

क्र. एफ-360-11-01-2012-आनीविइ-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-11-01-2012-आनीविइ-चार, दिनांक 5 जुलाई 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनीष रस्तोगी, सचिव.

Bhopal, the 5th July 2014

No. 360-F 11-01-12-EPAU-IV.—In pursuance of the provisions of clause (1) of article 243-I of the Constitution of India read with Section 3 of the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994), the Governor of Madhya Pradesh hereby appoints Shri Himmat Kothari, as Chairman, Madhya Pradesh, State Finance Commission and Shri Dilip Raj Singh Choudhary, (I. A. S. retired) and Shri Malay Roy, (I. A. S. retired) as Member, Madhya Pradesh, State Finance Commission.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

MANISH RASTOGI, Secy.